

वादी रोशनी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा रोटू का खेत खसरा नंबर 844 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा गया है। प्रतिवादी 2 के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 2009/300 रकबा 2.2662 हैक्टेयर में से 1.1331 हैक्टेयर पूर्वी भाग रखा गया है। प्रतिवादी किशनाराम व देवी के हक बंट कब्जा काश्त में किसी प्रकार की भूमि नहीं रखी गई है। तथा इसी ग्राह्य स्कीम अनुसार घोषणा खातेदारी दर्ज किये जाने की डिक्री सादर फरमाई जावे। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम मुतदाविया खेतार्यों में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। लिये खसरान् में मामला विनिमय/हरस्तानान्तरण का प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का स्टाम्प शुल्क/ड्यूटी जमा करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः मौजा रोटू के खेत खसरा नंबर 843/506 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नंबर 844/506 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नंबर 866/844 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 841/207 रकबा 1.0279 हैक्टेयर, खसरा नंबर 842/208 रकबा 1.1979 हैक्टेयर, मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, मौजा दुगोली के खेत खसरा नंबर 2009/300 रकबा 2.2662 हैक्टेयर, खसरा नंबर 720 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2068/1818 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2063/720 रकबा 1.6754 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2064/1818 रकबा 0.02023 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य मुताबिक वादपत्र एवं जबाबदावा/ईकवालिया जबाब अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।


- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा रोटू के खेत खसरा नंबर 843/506 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नंबर 844/506 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नंबर 866/844 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नंबर 841/207 रकबा 1.0279 हैक्टेयर, खसरा नंबर 842/208 रकबा 1.1979 हैक्टेयर, मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 1.4569 हैक्टेयर, मौजा दुगोली के खेत खसरा नंबर 2009/300 रकबा 2.2662 हैक्टेयर, खसरा नंबर 720 रकबा 1.7563 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2068/1818 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2063/720 रकबा 1.6754 हैक्टेयर, खसरा नंबर 2064/1818 रकबा 0.02023 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी चैनसुख के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा रोटू के खेत खसरा नंबर 843/506 रकबा 0.0324 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नंबर 866/844 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से 0.0485 हैक्टेयर उत्तरी भाग, खसरा नंबर 841/207 रकबा 1.0279 हैक्टेयर में से 0.5139 हैक्टेयर पूर्वी भाग, खसरा नंबर 842/208 रकबा 1.1979 हैक्टेयर में से 0.5990 हैक्टेयर पूर्वी भाग, मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 1.4569 हैक्टेयर में से 0.72845 हैक्टेयर पूर्वी तरफ, मौजा दुगोली के खेत खसरा नंबर 2009/300 रकबा 1.6754 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 2064/1818 रकबा 0.02023 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

डी.ए.  
जुवायरी कलकट  
(अस.टी.ओ.) ब्राह्मण

2. प्रतिवादी रामचन्द्र के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा रोटू के खेत खसरा नंबर 843/506 रकबा 0.0324 हैक्टैयर में से 0.0162 हैक्टैयर दक्षिणी भाग, खसरा नंबर 844/506 रकबा 0.0162 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 841/207 रकबा 1.0279 हैक्टैयर में से 0.5140 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, खसरा नंबर 842/208 रकबा 1.1979 हैक्टैयर में से 0.5990 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, मौजा गुगरियाली के खेत खसरा नंबर 411 रकबा 1.4569 हैक्टैयर में से 0.72845 हैक्टैयर पश्चिमी तरफ, मौजा दुगोली के खेत खसरा नंबर 2009/300 रकबा 2.2662 हैक्टैयर में से रकबा 1.1331 हैक्टैयर पश्चिमी भाग, खेत खसरा नंबर 720 रकबा 0.1214 हैक्टैयर पूरा, खसरा नंबर 2068/1818 रकबा 1.7563 हैक्टैयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी रोशनी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा रोटू का खेत खसरा नंबर 866/844 रकबा 0.0809 हैक्टैयर में से 0.0324 हैक्टैयर दक्षिणी भाग रखा गया है।
4. प्रतिवादी सुमित्रा के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा दुगोली का खेत खसरा नंबर 2009/300 रकबा 2.2662 हैक्टैयर में से 1.1331 हैक्टैयर पूर्वी भाग रखा गया है।
5. प्रतिवादी किशनाराम व चम्पादेवी के हक बंट कब्जा काश्त में किसी प्रकार की भूमि नहीं रखी गई है। अतः आराजी खसरान् में मामला हस्तानान्तरण/विनिमय का प्रतीत होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।
6. बैंक के रहन खसरान् में सर्विध में संबंधित बैंक को सूचित हो।  
निर्णय आज दिनांक 22-4-23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलासे सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर एवं डिप्युटी कमिश्नर  
न्यायालय-(नागौर)